अध्याय - द्वितीय

अध्याय - द्वितीय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

2.1	प्रस्तावना
2.2	संबंधित शोध कार्य का पुनरावलोकन
2.3	उपसंहार
2.4	शिक्षा के अधिकार की समय रूप रेखा (1950-2010)

अध्याय - द्वितीय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावना :-

"व्यवहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है, अन्य जीवों के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढी में नये सिरे से प्रारंभ करते है, मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहित एवं सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भंडार में मानव का निरनतर योगदान सभी क्षेत्रों में उसके विकास का अधार है।"

- बेस्ट 1959

साहित्य का पुलरावलोकन प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। साहित्य पुनरावलोकन एक कठिन कार्य है। समस्या से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अनुसंधान का प्राथमिक तथा अनुसंधान के गुणात्मक सार के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान में चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र का हो या शिक्षा के साहित्य का पुनरावलोकन एक अनिवार्य चरण है। क्षेत्रीय अध्ययन में जहाँ उपलब्ध उपकरणों का उपयोग तथा प्रदत्तों का संकलन का कार्य होता है वहाँ संबधित साहित्य के गुणात्मक स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य :-

1. सर्वेक्षण न करने से जो अनुसंधान कार्य पहले अन्य अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अच्छी प्रकार किया जा चुका है, वह पुनः किया जा सकता है।
2. ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार के लिए आवश्यक है, की अनुसंधानकर्त्ता को यह ज्ञात हो की ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. पूर्व साहित्य के पुनरावलोकन से अनुसंधानकर्त्ता को अपने अनुसंधान के विधान की रचना के संबंध में अंर्तदृष्टि प्राप्त हो सकती है।
4. पूर्व अनुसंधानों से अध्ययन से संबंधित नवीन समस्याओं का पता चलता है।
5. सत्यापन करने के लिए कुछ अनुसंधानों के नवीन दशाओं में करने की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन का अनुसंधान में बहुत महत्व है।

2.2 संबंधित शोध कार्यो का पुनरावलोकन :-

1. डॉ. निरंजन अरध्या (1985) ने अपने अध्ययन "भारतीय शिक्षा में शिक्षा का मौलिक अधिकार" का भारत शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होनें निम्न निष्कर्ष निकाले–

(i) भारत में शिक्षा के लिए सही बुनियादी बातों की आवश्यकता है।

(ii) शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में देने के लिए भारतीय क्रम प्रतिस्थापित लेख 21A राज्य प्रभाव में किया गया है।

(iii)केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के शिक्षा के लिए विशेष कानून व्यवस्था करायी है।

(iv)शिक्षा का प्रारंभिकता और मौलिक अधिकार के रूप में अच्छा तरह कराने के लिए एक विश्लेषण है।

(v) शिक्षा के अधिकार पर आधारित मॉडल शामिल करना चाहिए।

2. पांडे सरोज (1997) ने अपने अध्ययन "शिक्षकों की मानवाधिकार जागरूकता और शिक्षक–शिक्षकों एक जाँच" में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से शांति सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होनें निम्न निष्कर्ष निकाले–

(i) मानव अधिकार और शिक्षा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन किया है।

(ii) अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

(iii)शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा का विश्लेषण किया है।

(iv)अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नही है।

3. अरूणा कश्यप (1999) शोध के अनुसार अध्यापकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकलते है :-

(i) शिक्षा के अधिकार पर आधारित मॉडल शामिल करना चाहिए।

(ii) भारत के विद्यार्थी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में कारगर यह सूनिश्चित करने की दिशा में इस बात का अधिकार मुक्त और अनिवार्य है।

(iii)शिक्षा और गति बनाए रखने में इन्कार नहीं किया है।

(iv)भारत सरकार और अन्य हितधारकों के द्वारा सभी के लिए शिक्षा दिलाने का एक प्रयास किया है।

4. सुश्री याज (2002) ने अपने अध्ययन, ''भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार'' नई दिल्ली के अध्यापक तथा छात्र में जागरूकता लाने के लिए अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले –

(i) शिक्षा के अधिकार क प्रति अध्यापकों में जागरूकता का अध्ययन करना है।

(ii) छात्रों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का अध्ययन किया गया।

(iii)ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

(iv)शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2.3 उपसंहार –

उपरोक्त अध्ययनों को अध्ययन करने से पता चलता है कि अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण के अध्ययन क्षेत्र में अधिक शोध कार्य नहीं हुये है। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा उनके दृष्टिकोण का अध्ययन किसी शोधकर्ता द्वारा व्यापक पैमाने पर नहीं किया है। जो भी अध्ययन कार्य हुये है वे प्रस्तुत लघु शोध से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है।

अतः उपरोक्त शोधों को प्रस्तुत शोध कार्य हेतु आधार बनाया है।

2.4 शिक्षा के अधिकार की सत्य रूप रेखा (1950–2010)

1. संविधान अधिनियम 1950 अनुसार :–

संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार "राज्य के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास है, इस संविधान के प्रारंभ से होगी इस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए जब तक चौदह वर्ष की आयु पूर्ण न हो" में कहा गया है।

2. संविधान अधिनियम 1975 अनुसार :-

केन्द्र सरकार के एक संयुक्त राज्य अथवा केन्द्र जिम्मेदारी पद संविधान में संशोधन 42 में "समवर्ती सूची" प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार डाल दिया।

3. संविधान अधिनियम 1993 अनुसार :-

संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन स्वतंत्रता के लिए एक मौलिक अधिकार के लिए 1993 आध्रप्रदेश के क्षेत्रीय राज्य सरकार के खिलाफ एक कानूनी मामले में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की गई।

4. संविधान अधिनियम 2002 अनुसार :-

संविधान छियासीवा संशोधन अधिनियम द्वारा छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक ऐसे मूल अधिकार के रूप में उपबंधित करता है, जो ऐसी रीति में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे राज्य विधि द्वारा अवधारित करें।

5. संविधान अधिनियम 2003 अनुसार :-

पहला अधिकार शिक्षा विधेयक का मसौदा तैयार करने सार्वजनिक समीक्षा के लिए वितरित किया गया।

6. संविधान अधिनियम 2004 अनुसार :-

बिल का दूसरा मसौदा, पहले मसौदे की प्रतिक्रिया के विचार के बाद सार्वजनिक समीक्षा के लिए वितरित किया गया।

7. संविधान अधिनियम 2005 अनुसार :-

शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड समिति शिक्षा का अधिकार विधेयक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत मसौदा तैयार किया गया।

8. संविधान अधिनियम 2006 अनुसार :-

वित्त समिति और योजना आयोग'क' की कमी और एक मॉडल या आवश्यक व्वस्था बनाने के लिए राज्य को भेजा गया बिल का हवाला देते हुए विधेयक खारिज कर दिया, अमेरिका तुरंत मॉडल विधेयक वापस भेजा केन्द्र को पैसे की कमी का हवाला देते हुए। विधेयक लगभग दो साल के लिए दफन कर दिया गया था। D-348

9. संविधान अधिनियम 2008 अनुसार :-

बच्चों के अधिकार को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक राज्य सभा में पेश किया था। राज्य सभा विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को बिल भेजा गया।

10. संविधान अधिनियम 2009 अनुसार :-

20 जुलाई को राज्य सभा के 2008 मसौदा विधेयक को मामूली बदलाव के साथ विधेयक पारित कर दिया। 4 अगस्त को लोकसभा विधेयक पारित कर दिया। 26 अगस्त को राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे दी उससे यह सूचित करते है और यह एक अधिनियम के रूप में अस्तितव में लाना।

11. संविधान अधिनियम 2010 अनुसार :-

29 जनवरी मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के लिए मॉडल नियम अनुमोदित शिक्षा का अधिकार राज्य सरकार को जो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए इस्तेमाल करेगा।

1अप्रैल शिक्षा का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया।